लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

–: ई–ऑक्सन सूचना :–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न भू–उपयोग के भूखण्डों का ई–ऑक्सन दिनॉक 25.10.2023 को प्रातः 11:00 बजे वेबसाइट https://ldaauction.procure247.com/ पर किया जाना प्रस्तावित था जिसे बढ़ाकर दिनांक–04/11/2023 कर दिया गया है। ई–ऑक्सन में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेताओं को ई–ऑक्सन पोर्टल पर पंजीकरण तथा आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत (ई0एम0डी0) ऑन लाइन एवं वॉछित प्रपत्र दिनांक–30/10/23 तक जमा किया जा सकता है। आक्शन की अन्य नियम शर्ते पूर्वत् रहेगी।

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)	**(पवन कुमार गंगवार)**	**(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)**
अपर सचिव	**सचिव**	**उपाध्यक्ष**

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

—: ई—ऑक्शन सूचना (शुद्धि पत्र) :—

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में विभिन्न भू—उपयोग भूखण्डों/आवासीय फ्लैटों का ई—आक्शन दिनांक 25.10.2023 को कराये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं टाईम्स ऑफ इन्डिया में दिनांक 31.08.2023 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था उक्त ई—आक्शन में गोमती नगर विस्तार योजना से0—1 स्थित वनस्थली अपार्टमेन्ट के फ्लैट सं0—32-L BLOCK 2BHK, TYPE-II के स्थान पर त्रुटिवश फ्लैट सं0—32-L BLOCK 2BHK+SERVANT, TYPE-II अंकित कर वेबसाईट पर सूची अपलोड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रश्तगत सम्पत्ति को सं0—32-L BLOCK 2BHK+SERVANT, TYPE-II के स्थान पर फ्लैट सं0—32-L BLOCK 2BHK, TYPE-II पढ़ा एवं समझा जाए। इसके अतिरिक्त आवासीय फ्लैट सं0—SP/W/105, 3BHK+STUDY, TYPE-2, शिप्रा अपार्टमेन्ट से0—4 गोमती नगर विस्तार योजना को कतिपय कारणों से ई—आक्शन से पृथक किया जाता है। इस फ्लैट हेतु कोई भी टेण्डर/पंजीकरण ई—आक्शन में मान्य नही होगा।

19.10.23

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

—: ई—ऑक्शन सूचना (शुद्धि पत्र) :—

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं में विभिन्न भू—उपयोग के भूखण्डों का ई—आक्शन दिनांक—25.10.2023 को कराये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एंव टाईम्स ऑफ इन्डिया में दिनांक—31.08.2023 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। उक्त ई—आक्शन में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना का भूखण्ड संख्या—ई—104 ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेज—II के स्थान पर त्रुटिवश फेज—I अंकित कर वेबसाईट पर सूची अपलोड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रश्नगत सम्पत्ति को ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेज—I के स्थान पर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेज—II पढ़ा एंव समझा जाए। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं0—TC-49-V-14 विभूति खण्ड गोमती नगर को कतिपय कारणों से ई—आक्शन से हटाया जाता है। इस भूखण्ड हेतु कोई भी टेण्डर/पंजीकरण ई—आक्शन के लिये मान्य नही होगा।

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

–: ई–ऑक्शन सूचना :–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं में संचालित निम्नॉकित व्यवसायिक सम्पत्तियों का ई–ऑक्शन दिनॉक–....25/10/....2023 को प्रातः 11:00 बजे से https://ldaauction.procure247.com/ पर किया जायेगा। ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु इच्छुक केताओं को ई–ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण तथा आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत (ई0एम0डी0) ऑन लाइन एवं वॉछित प्रपत्र दिनांक–....01/09/......2023 से ...20/10/...... 2023 तक जमा करना होगा। तत्पश्चात सम्पत्तियों के ई–आक्शन में आवेदकों द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है।

शारदा नगर योजना के भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	LS-1	लोकल शाप	रजनी खण्ड	214.24	40000.00	60	1.50	सामान्य
2	LS-1A	लोकल शाप	रजनी खण्ड	168.31	40000.00	60	1.50	सामान्य
3	LS-1B	लोकल शाप	रजनी खण्ड	166.79	40000.00	60	1.50	सामान्य
4	LS-1C	लोकल शाप	रजनी खण्ड	165.26	40000.00	60	1.50	सामान्य
5	LS-1D	लोकल शाप	रजनी खण्ड	163.74	40000.00	60	1.50	सामान्य
6	LS-1E	लोकल शाप	रजनी खण्ड	214.55	40000.00	60	1.50	सामान्य

गोमती नगर विस्तार योजना के भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	CP-1/14	व्यवसायिक	सेक्टर–1 गोमती नगर विस्तार योजना	6648.06	79167.00	50	1.75	सामान्य
2	CP-4/3	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2440.20	79167.00	50	1.75	सामान्य
3	CP-4/3-A	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2432.45	79167.00	50	1.75	सामान्य
4	CP-4/5	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2860.00	79167.00	50	1.75	सामान्य
5	CP-4/5-A	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2860.00	79167.00	50	1.75	सामान्य
6	CP-4/6	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2860.00	79167.00	50	1.75	सामान्य
7	CP-4/18	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2405.00	79167.00	50	1.75	सामान्य
8	CP-4/18-A	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2405.00	79167.00	50	1.75	सामान्य
9	CP-4/1-A	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2196.65	79167.00	50	1.75	सामान्य
10	CP-4/1-B	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	1644.28	79167.00	50	1.75	सामान्य
11	CP-4/1-C	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	1634.18	79167.00	50	1.75	सामान्य
12	CP-4/1-D	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	1535.00	79167.00	50	1.75	सामान्य
13	CP-2	व्यवसायिक	सेक्टर–6 गोमती नगर विस्तार	1014.00	79167.00	50	1.75	सामान्य
14	CP-3	व्यवसायिक	सेक्टर–6 गोमती नगर विस्तार	1037.36	79167.00	50	1.75	सामान्य
15	CP-4	व्यवसायिक	सेक्टर–6 गोमती नगर विस्तार	1019.29	79167.00	50	1.75	सामान्य

16	CF-1/43	फैसेल्टीज	सेक्टर–1 गोमती नगर विस्तार	3823.33	57000.00	40	1.50	सामान्य
17	CF-1/43-A	फैसेल्टीज	सेक्टर–1 गोमती नगर विस्तार	2485.00	57000.00	40	1.50	सामान्य
18	4/GH	ग्रुप हाउसिंग	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2987.00	67134.00	40	2.50	सामान्य
19	4/38-A	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2023.91	71875.00	50	1.75	सामान्य
20	4/38	व्यवसायिक	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2771.33	79167.00	50	1.75	सामान्य
21	1	व्यवसायिक / होटल	अहमामऊ चौराहा	1382.00	79167.00	AS/Activity	1.75	सामान्य
22	7/12-A	हेल्थ सेन्टर / नर्सिंग होम / हेल्थ कल्ब	सेक्टर–7 गोमती नगर विस्तार	8844.69	57000.00	AS/Activity	1.5	सामान्य
23	7/12	कम्यूनिटी फैसेल्टीज	सेक्टर–7 गोमती नगर विस्तार	11576.81	57000.00	AS/Activity	1.5	सामान्य

गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत सी0बी0डी0 योजना निकट सी0जी0 सिटी, (इकाना स्टेडियम एंव प्लासियो माल) के भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	CP-02	व्यवसायिक	10136.90	86250.00	40	3.00	सामान्य
2	CP-03	व्यवसायिक	10136.90	86250.00	40	3.00	सामान्य
3	CP-04	व्यवसायिक	18962.81	95000.00	40	3.00	सामान्य
4	CP-05	व्यवसायिक	5609.35	86250.00	40	3.00	सामान्य
5	CP-05-A	व्यवसायिक	5246.32	86250.00	40	3.00	सामान्य
6	CP-05-B	व्यवसायिक	3715.42	95000.00	40	3.00	सामान्य
7	CP-07	व्यवसायिक	6470.74	95000.00	40	3.00	सामान्य
8	CP-08	व्यवसायिक	6452.44	95000.00	40	3.00	सामान्य

गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत सी0बी0डी0 योजना निकट सी0जी0 सिटी, (इकाना स्टेडियम एंव प्लासियो माल) फाईन डाईनिंग स्ट्रीट के भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर / योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	DS-1	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	2639.10	95000.00	40	3.00	सामान्य वर्ग
2	DS-2	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1200.00	86250.00	40	3.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	DS-3	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1200.30	86250.00	40	3.00	अनुसूचित जाति
4	DS-4	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1254.43	86250.00	40	3.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
5	DS-5	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1347.75	86250.00	40	3.00	सामान्य वर्ग
6	DS-6	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1419.01	95000.00	40	3.00	सामान्य वर्ग
7	DS-7	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1454.76	95000.00	40	3.00	सामान्य वर्ग
8	DS-8	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	2766.62	95000.00	40	3.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	DS-9	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	2729.02	95000.00	40	3.00	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकें हों।
10	DS-10	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1216.41	95000.00	40	3.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	DS-11	व्यवसायिक	सी0बी0ड 0 योजना	1200.00	86250.00	40	3.00	विधायक, सासंद व स्वतन्त्रता संगाम सेनानी

12	DS-12	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1200.00	86250.00	40	3.00	सामान्य वर्ग
13	DS-13	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1200.00	86250.00	40	3.00	अनुसूचित जाति
14	DS-14	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	1200.00	86250.00	40	3.00	अनुसूचित जाति
15	DS-15	व्यवसायिक	सी0बी0डी0 योजना	2295.38	95000.00	40	3.00	सामान्य वर्ग

गोमती नगर योजना के भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	CP-1	व्यवसायिक	विकास खण्ड–5 गोमती नगर	625.09	83600.00	60	1.50	सामान्य
2	CP-1-A	व्यवसायिक	विकास खण्ड–5 गोमती नगर	406.41	73000.00	60	1.50	सामान्य
3	TC-49-V-15	व्यवसायिक	विभूति खण्ड गोमती नगर	1484.46	130000.00	45	2.00	सामान्य
4	TC-49-V-1-C	व्यवसायिक	विभूति खण्ड गोमती नगर	1514.608	119167.00	45	2.00	सामान्य
5	TC-49-V-XIV	व्यवसायिक	विभूति खण्ड गोमती नगर	1444.46	119167.00	45	2.00	सामान्य
6	3/115	व्यवसायिक	विभूति खण्ड गोमती नगर	288.00	130000.00	45	2.00	सामान्य
7	TC/IIV-A	व्यवसायिक	विभूति खण्ड गोमती नगर	1123.93	130000.00	45	2.00	सामान्य
8	TC/IIV-B	व्यवसायिक	विभूति खण्ड गोमती नगर	1710.55	130000.00	45	2.00	सामान्य
9	TC/IIV-C	व्यवसायिक	विभूति खण्ड गोमती नगर	3136.728	130000.00	45	2.00	सामान्य
10	CP-2	व्यवसायिक	वास्तु खण्ड–3 गोमती नगर	1038.73	69000.00	60	1.50	सामान्य
11	F-7	फैसेल्टीज	विनम्र खण्ड–3 गोमती नगर	1253.53	51750.00	40	1.50	सामान्य
12	HC-01	नर्सिंग	विनम्र खण्ड–3 गोमती नगर योजना	1866.93	51750.00	35	1.50	सामान्य
13	VNR-3/LS	लोकल शाप	विनम्र खण्ड–3 गोमती नगर योजना	1803.86	69000.00	60	1.50	सामान्य
14	LOCAL SHOP-3	लोकल शाप	विनम्र खण्ड–3 गोमती नगर योजना	1959.54	69000.00	60	1.50	सामान्य
15	LOCAL SHOP-5	लोकल शाप	विनम्र खण्ड–2 गोमती नगर योजना	252.00	66000.00	60	1.50	सामान्य
16	CF-03	कम्यूनिटी फैसेल्टीज	विनम्र खण्ड–2 गोमती नगर योजना	348.00	49500.00	40	1.50	सामान्य
17	CF-02	कम्यूनिटी फैसेल्टीज	विनम्र खण्ड–3 गोमती नगर योजना	240.00	49500.00	40	1.50	सामान्य
18	SHOPS-05	शाप	विनम्र खण्ड–3 गोमती नगर योजना	316.80	66000.00	40	1.5	सामान्य
19	VNR-2/CF	कम्यूनिटी फैसेल्टीज	विनम्र खण्ड–2 गोमती नगर योजना	194.00	49500.00	40	1.50	सामान्य
20	VNR-2/CF-1	कम्यूनिटी फैसेल्टीज	विनम्र खण्ड–2 गोमती नगर योजना	223.72	49500.00	40	1.50	सामान्य
21	VNR-1/CF	कम्यूनिटी फैसेल्टीज	विनम्र खण्ड–1 गोमती नगर योजना	194.25	45750.00	40	1.50	सामान्य
22	VRJ-2/CP	व्यवसायि क	विराज खण्ड–2 गोमती नगर	1613.88	69000.00	60	1.5	सामान्य
23	VRJ-2/HC	नर्सिंग	विराज खण्ड–2 गोमती नगर	1510.11	51750.00	35	1.5	सामान्य

23	VRJ-3/LS	लोकल शाप	विराज खण्ड–3 गोमती नगर	910.32	66000.00	60	1.5	सामान्य
24	VRJ-4/LS	लोकल शाप	विराज खण्ड–4 गोमती नगर PLOT NO.NEAR 4/07	1338.713	76000.00	60	1.5	सामान्य
25	CP-148	व्यवसायिक	विराज खण्ड–2 गोमती नगर (व्यवसायिक पाकेट)	672.20	71875.00	50	1.75	सामान्य
26	CP-93-A	व्यवसायिक	विराज खण्ड–2 गोमती नगर (व्यवसायिक पाकेट)	583.75	79167.00	50	1.75	सामान्य
27	CP-2	व्यवसायिक	विराज खण्ड–5 गोमती नगर	400.00	76000.00	50	1.50	सामान्य
28	VRJ-3/F-1	फैसेल्टीज	विराज खण्ड–3 गोमती नगर योजना	385.88	49500.00	40	1.5	सामान्य
29	VRJ-3/F	फैसेल्टीज	विराज खण्ड–3 गोमती नगर योजना	930.50	49500.00	40	1.5	सामान्य
30	VRJ-3/LS-1	लोकल शाप	विराज खण्ड–3 गोमती नगर	558.05	66000.00	60	1.5	सामान्य
31	CP-2/1	व्यवसायिक	विराज खण्ड–2 गोमती नगर	125.06	75195.00	60	1.50	सामान्य
32	CP-2/2	व्यवसायिक	विराज खण्ड–2 गोमती नगर	165.51	75195.00	60	1.50	सामान्य
33	LS-3	लोकल शाप	विजयन्त खण्ड गोमती नगर योजना	2052.66	76000.00	60	1.5	सामान्य
34	CP-B-1	व्यवसायिक भूखण्ड	विजयन्त खण्ड गोमती नगर योजना	630.00	76000.00	60	1.5	सामान्य
35	S-20, 22, 62	व्यवसायिक	वास्तु खण्ड गोमती नगर	16.50	331560.00	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
36	S-16, 56	व्यवसायिक	वास्तु खण्ड गोमती नगर	24.75	331560.00	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
37	S-26, 33, 39, 53, 54	व्यवसायिक	वास्तु खण्ड गोमती नगर	13.50	331560.00	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
38	S-34, 38, 41	व्यवसायिक	वास्तु खण्ड गोमती नगर	20.25	331560.00	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
39	P-2, 4, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 31, 87, 91, 92, 96, 105	व्यवसायिक	वास्तु खण्ड गोमती नगर	5.76	296573.00	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य

सी0जी0 सिटी(चकगजरिया) योजना के भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	C-1	माल	सी0जी0 सिटी	9550.54	83600.00	45	2.50	सामान्य
2	C-2	व्यवसायिक	सी0जी0 सिटी	20396.70	83600.00	45	2.50	सामान्य
3	C-3	सी0एन0जी0 फीलिंग स्टेशन/पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन	सी0जी0 सिटी	5948.48	83600.00	10	.15	सामान्य
4	F-5	होटल	सी0जी0 सिटी	18372.65	62700.00	40	2.50	सामान्य
5	F-6	सिटी क्लब	सी0जी0 सिटी	23552.61	62700.00	40	2.50	सामान्य
6	F-9	व्यवसायिक	सी0जी0 सिटी	25211.81	83600.00	45	2.50	सामान्य
7	E-5	व्यवसायिक	सी0जी0 सिटी	20234.20	83600.00	45	2.50	सामान्य

8	E-8	व्यवसायिक	सी0जी0 सिटी	11128.81	83600.00	45	2.50	सामान्य
9	F-2	मिश्रित भू–उपयोग	सी0जी0 सिटी	22338.56	73150.00	40	2.50	सामान्य
10	F-1	मिश्रित भू–उपयोग	सी0जी0 सिटी	13989.18	73150.00	40	2.50	सामान्य

कानपुर रोड योजना के भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	C-5	लोकल शाप	सेक्टर–ओ	784.03	41000.00	60	1.50	सामान्य
2	C-5-A	लोकल शाप	सेक्टर–ओ	721.97	41000.00	60	1.50	सामान्य

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में) एंव एफ0ए0आर0	श्रेणी
1	F-505	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–2	140.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
2	F-344	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–2	140.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
3	F-342	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–2	140.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
4	F-340	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–2	140.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
5	F-177	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–1	140.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
6	E-153	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–1	450.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
7	F-480	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–2	140.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
8	E-32	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–2	450.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
9	F-250	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–1	140.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
10	E-104	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–1	450.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
11	G-62	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–2	297.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
12	S-351	Bussiness Of Transportation	ट्रासपोर्ट नगर फेज–1	50.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य
13	F-92	एजेन्सी	ट्रासपोर्ट नगर फेज–1	140.0	62000.00	कन्ट्रोल ड्राइंग के अनुसार	सामान्य

हरदोई रोड बसन्त कुंज योजना के भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	1	शापिंग माल/मल्टीप्लेक्स	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	4926.54	62500.00	50	1.75	सामान्य
2	2	शापिंग माल/मल्टीप्लेक्स	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	5395.85	62500.00	50	1.75	सामान्य

3	3	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1276.85	62500.00	50	1.75	सामान्य
4	5	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1440.21	62500.00	50	1.75	सामान्य
5	6	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1460.64	56459.00	50	1.75	सामान्य
6	7	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1378.83	56459.00	50	1.75	सामान्य
7	8	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1274.83	56459.00	50	1.75	सामान्य
8	9	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1250.36	62500.00	50	1.75	सामान्य
9	10	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1157.80	62500.00	50	1.75	सामान्य
10	11	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1006.46	62500.00	50	1.75	सामान्य
11	12	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1027.66	62500.00	50	1.75	सामान्य
12	15	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	856.38	62500.00	50	1.75	सामान्य
13	16	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	874.44	62500.00	50	1.75	सामान्य
14	17	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	887.25	62500.00	50	1.75	सामान्य
15	18	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	801.57	62500.00	50	1.75	सामान्य
16	19	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	790.02	62500.00	50	1.75	सामान्य
17	20	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	842.90	62500.00	50	1.75	सामान्य
18	21	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	890.50	62500.00	50	1.75	सामान्य
19	23	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1150.00	62500.00	50	1.75	सामान्य
20	24	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	1254.63	62500.00	50	1.75	सामान्य
21	27	व्यवसायिक	सेक्टर–बी बसन्त कुंज योजना	905.59	62500.00	50	1.75	सामान्य
22	CP-1	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	352.32	60000.00	50	1.50	सामान्य
23	CP-2	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	1628.33	62500.00	50	1.75	सामान्य
24	CP-3	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	179.40	60000.00	50	1.50	सामान्य
25	CP-4	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	178.94	54200.00	50	1.50	सामान्य
26	CP-5	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	183.78	54200.00	50	1.50	सामान्य
27	CP-6	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	778.32	56459.00	40	1.75	सामान्य
28	CP-7	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	244.66	60000.00	50	1.50	सामान्य
29	CP-9	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	256.76	54200.00	50	1.50	सामान्य
30	CP-10	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	246.26	54200.00	50	1.50	सामान्य

31	CP-11	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	204.50	54200.00	50	1.50	सामान्य
32	CP-12	व्यवसायिक	सेक्टर–पी बसन्त कुंज योजना	213.88	54200.00	50	1.50	सामान्य

जानकीपुरम/विस्तार योजना के भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	CP-1	व्यवसायिक	सेक्टर–2 जानकीपुरम विस्तार	696.77	62000.00	60	1.5	सामान्य
2	CP-1-I	व्यवसायिक	सेक्टर–2 जानकीपुरम विस्तार	675.83	62000.00	60	1.5	सामान्य
3	CP-1-G	व्यवसायिक	सेक्टर–2 जानकीपुरम विस्तार	664.48	62000.00	60	1.5	सामान्य
4	CP-1-H	व्यवसायिक	सेक्टर–2 जानकीपुरम विस्तार	664.84	62000.00	60	1.5	सामान्य
5	CP-1-B	व्यवसायिक	सेक्टर–2 जानकीपुरम विस्तार	599०46	62000.00	60	1.5	सामान्य
5	Conv. Shop	कन्वीनियन शाप	सेक्टर–1 जानकीपुरम् विस्तार	1287.60	62000.00	60	1.5	सामान्य
6	CF-01	फैसेल्टीज	सेक्टर–6 जानकीपुरम् विस्तार	830.00	39000.00	40	1.5	सामान्य
7	Nurshing Home/ Polyclinic	नर्सिंग होम	सेक्टर–6 जानकीपुरम् विस्तार	981.43	46500.00	60	1.2	सामान्य
8	F-01	फैसेल्टीज	सेक्टर–एफ जानकीपुरम्	647.41	73500.00	35	1.5	सामान्य
9	HC-1	हेल्थ सेंटर	सेक्टर–जे जानकीपुरम्	2186.00	60000.00	35	1.5	सामान्य
10	CP-2	व्यवसायिक	सेक्टर–जे विस्तार जानकीपुरम्	1032.00	102084.00	50	1.75	सामान्य
11	CP-2/1	व्यवसायिक	सेक्टर–जे विस्तार जानकीपुरम्	1146.28	102084.00	50	1.75	सामान्य
12	CP-2/2	व्यवसायिक	सेक्टर–जे विस्तार जानकीपुरम्	1403.67	102084.00	50	1.75	सामान्य
13	GH-6	ग्रुप हाउसिंग	सेक्टर–जे विस्तार जानकीपुरम्	5166.00	68017.00	40	2.50	सामान्य
14	GH-8	ग्रुप हाउसिंग	सेक्टर–जे विस्तार जानकीपुरम्	5479.10	68017.00	40	2.50	सामान्य
15	CP-3	व्यवसायिक	सेक्टर–जे जानकीपुरम्	413.92	80000.00	60	1.5	सामान्य
16	S-21	व्यवसायिक	सेक्टर–जे जानकीपुरम	20.55	213250.00	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य

प्रियदर्शिनी योजना के भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	भू–अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ0 ए0 आर0	श्रेणी
1	CP-1	व्यवसायिक	सेक्टर–बी प्रियदर्शिनी योजना	1372.525	80000.00	50	1.5	सामान्य

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में स्थित स्कूल भूखण्ड

क्र.सं.	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0
1	भूखण्ड स0–एफ–3 स्कूल भूखण्ड	सी0जी0 सिटी योजना	19060.62	62700.00
2	भूखण्ड सं0–ई–9 टेक्निकल ऐजूकेशन भूखण्ड	सी0जी0 सिटी योजना	57910.28	62700.00
3	एफ–2 प्राईमरी स्कूल भूखण्ड	प्रियदर्शिनी योजना सीतापुर रोड सेक्टर–बी	3087.50	57750.00
4	एस–2–ए स्कूल भूखण्ड	कानपुर रोड सेक्टर–डी	3180.00	30000.00
5	स्कूल भूखण्ड	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	2728.70	57000.00

गोमती नगर विस्तार योजना के विभिन्न सेक्टरों स्थित अपार्टमेंन्ट में स्थित फ्लैटों का विवरण

क0 सं0	योजना का नाम	फ्लैटो संख्या	फ्लैट का प्रकार	अनुमानित एरिया	अनुमानित विक्रय मूल्य	श्रेणी
1.	ग्रीनवुड अपार्टमेन्ट	GW/A/505	3BHK+STUDY	149.62	7565000.00	सामान्य
2.	ग्रीनवुड अपार्टमेन्ट	GW/J/808	2BHK TYPE-2	96.18	4863000.00	सामान्य
3.	ग्रीनवुड अपार्टमेन्ट	GW/H/1008	3BHK+study	152.10	7690000.00	सामान्य
4.	ग्रीनवुड अपार्टमेन्ट	GW/G/706	3BHK TYPE-B	128.61	6503000.00	सामान्य
5.	कावेरी अपार्टमेन्ट	KV/A/1101	PENT HOUSE TYPE-2	392.07	18746000.00	सामान्य
6.	सतलज अपार्टमेन्ट	ST/T/107	2BHK+STUDY	112.35	5372000.00	सामान्य
7.	सतलज अपार्टमेन्ट	ST/U/402	3BHK+STUDY TYPE-2	148.28	7090000.00	सामान्य
8.	शिप्रा अपार्टमेन्ट	SP/W/105	3BHK+STUDY TYPE-2	148.26	7089000.00	सामान्य
9.	अलकनन्दा अपार्टमेन्ट	AL/R/1105	2BHK TYPE-2	110.497	5283000.00	सामान्य
10.	अलकनन्दा अपार्टमेन्ट	AL/O/1103	PENT HOUSE TYPE-2	347.22	16601000.00	सामान्य
11.	वनस्थली अपार्टमेन्ट	31-F BLOCK	3BHK type-3	148.32	8414000.00	सामान्य
12.	वनस्थली अपार्टमेन्ट	32-L BLOCK	2BHK+SERVANT TYPE-2	137.70	7811000.00	सामान्य

विराज खण्ड गोमती नगर योजना में स्थित भूखण्ड का विवरण

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	श्रेणी
1	1/231	आवासीय	विराज खण्ड–1	184.80	33000.00	सामान्य
2	1/229-A	आवासीय	विराज खण्ड–1	117.48	33000.00	सामान्य
3	1/106-A	आवासीय	विराज खण्ड–1	115.50	33000.00	सामान्य
4	2/48-A	आवासीय	विराज खण्ड–2	200.00	34500.00	सामान्य
5	2/89-A	आवासीय	विराज खण्ड–2	115.50	33000.00	सामान्य
6	2/89-B	आवासीय	विराज खण्ड–2	115.50	33000.00	सामान्य
7	5/74-A	आवासीय	विराज खण्ड–5	115.50	33000.00	सामान्य

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में सरस्वती अपार्टमेंट के बगल स्थित कन्वीनियन शापिंग काम्पलेक्स का विवरण

क0सं0	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	क्षेत्रफल	कुल आरक्षित मूल्य
1	कन्वीनियन शापिग काम्पलेक्स	सेक्टर–4 गोमती नगर विस्तार	1027.94	125226619.00

अन्य विवरणः –

1. सम्पत्ति "जैसी है जहाँ है" के आधार पर आवंटित की जायेगी।
2. किसी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
3. ट्रान्सपोर्ट नगर योजना स्थित भूखण्डों को नियमानुसार लीज पर आवंटित किया जायेगा।
4. शासनादेश संख्या–4982/9–आ–1–99–79 बैठक/99 दिनांक–17.12.99 के अनुसार आरक्षण श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ई–ऑक्सन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा यदि आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नही किया गया है तो आप के द्वारा आक्शन में दी गयी बोली को निरस्त कर दिया जायेगा। फर्म तथा कम्पनी को सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
5. निर्माण सम्बन्धी नियम लखनऊ महायोजना 2031 एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुसार रहेगें।
6. किसी ई–ऑक्शन बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है। उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
7. भूखण्डों में ऊचाई के निर्धारण हेतु एयरपोर्ट से अनापत्ति के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।
8. फैसेल्टीज भूखण्डों के अर्न्तगत अतिथि गृह/छात्रावास/शैक्षिक संस्थान/अस्पताल/नर्सिंग होम/जिम/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल/कान्फ्रेंस हॉल/मीटिंग हाल आदि क्रियाये अनुमन्य होगी।
9. फाईन डाईनिगं स्ट्रीट के भूखण्डों की नियम शर्ते एवं शेष अन्य भूखण्डों की नियम शर्ते अलग–अलग होंगी।
10. ई–ऑक्शन के विस्तृत नियम/शर्तें, विशेष कार्याधिकारी(तकनीकी)/जनसंपर्क अधिकारी/उप सचिव (प्र0व्या0सेल), ल0 वि0 प्रा0, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय तथा https://ldaauction.procure247.com/ पर देखी व प्राप्त की जा सकती है।

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

–: ई–ऑक्सन सूचना :–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न भू–उपयोग के भूखण्डों का ई–ऑक्सन दिनॉक–..25.10..2023 को प्रातः 11:00 बजे वेबसाइट https://ldaauction.procure247.com/ पर किया जाना प्रस्तावित है। ई–ऑक्सन में भाग लेने हेतु इच्छुक केताओं को ई–ऑक्सन पोर्टल पर पंजीकरण तथा आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत (ई0एम0डी0) ऑन लाइन एवं वॉछित प्रपत्र दिनांक–....01.09...2023 से ...20.10.....2023 तक जमा किया जा सकता है। पंजीकरण कराने के पश्चात ही सम्पत्तियों के ई–आक्शन में आवेदकों द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है। **आक्शन में प्रस्तावित सम्पत्ति का विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट–ldaonline.co.in पर Download के बाक्स पर क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है एंव https://ldaauction.procure247.com/ पर देखा जा सकता है।**

E-Auction Portal/ वेबसाइट– https://ldaauction.procure247.com/
E-Auction Portal Support: 8866287104, 9574524058, 7016716557
e-mail: tapan@tender247.com, mahesh.baku@procure247.com, helpdesk@ procure247.com

अन्य विवरणः –

1. सम्पत्ति "जैसी है जहाँ है" के आधार पर आवंटित की जायेगी।
2. किसी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
3. शासनादेश संख्या–4982/9–आ–1–99–79 बैठक/99 दिनांक–17.12.99 के अनुसार आरक्षण श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ई–ऑक्सन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा यदि आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नही किया गया है तो आप के द्वारा आक्शन में दी गयी बोली को निरस्त कर दिया जायेगा। फर्म तथा कम्पनी को सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
4. निर्माण सम्बन्धी नियम लखनऊ महायोजना 2031 एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुसार रहेगें।
5. किसी ई–ऑक्शन बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है। उपाध्यक्ष, का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
6. ट्रान्सपोर्टनगर के भूखण्ड नियमानुसार लीज पर आंवटित की जायेगी।
7. सी0 जी0 सिटी स्थित सभी प्रकार के भू–उपयोग (आवासीय को छोड़कर) एंव वास्तु खण्ड स्थित वेजिटेबल मार्केट के भूखण्डों हेतु अलग से कोई लोकेशन चार्जेज देय नही होगें। उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में स्थित सभी प्रकार के भू–उपयोग के भूखण्डों हेतु प्राप्त उच्चतम् बोली पर नियमानुसार लोकेशन चार्जेज देय होगा।
8. भूखण्डों में ऊचाई के निर्धारण हेतु एयरपोर्ट से अनापत्ति के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।
9. ई–ऑक्शन के विस्तृत नियम/शर्तें, विशेष कार्याधिकारी(तकनीकी)/जनसंपर्क अधिकारी/उप सचिव (प्र0व्या0सेल), ल0 वि0 प्रा0, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

—: ई—ऑक्सन सूचना (शुद्धि पत्र) :—

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं में संचालित विभिन्न व्यवसायिक सम्पत्तियों/भूखण्डों का ई—ऑक्सन दिनांक 25.10.2023 को किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्र एंव प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। जिसके कम में निम्नलिखित संशोधन किए गए है—

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं में संचालित विभिन्न व्यवसायिक सम्पत्तियों/भूखण्डों का ई—ऑक्शन हेतु लागू नियम एंव शर्तों के प्रस्तर सं0—17 के उप प्रस्तर सं0—6 में संशोधन के अनुसार सी0 जी0 सिटी स्थित सभी प्रकार के भू—उपयोग (आवासीय को छोड़कर) एंव वास्तु खण्ड स्थित वेजिटेबल मार्केट के भूखण्डों हेतु अलग से कोई लोकेशन चार्जेज देय नही होगें। उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में स्थित सभी प्रकार के भू—उपयोग के भूखण्डों हेतु प्राप्त उच्चतम् बोली पर नियमानुसार पार्क फेसिंग होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि, कार्नर होने पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि, कार्नर एंव पार्क फेसिंग दोनों होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
2. प्रस्तर सं0—23 में संशोधन के अनुसार आक्शन में उच्चतम् ई—ऑफरदाता के पक्ष में सम्पत्ति आवंटन के पश्चात शासनादेश/प्रचलित नियमों के अनुसार व्यवसायिक सम्पत्तियों/भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत लीज रेंट/12 प्रतिशत फ्री—होल्ड शुल्क पृथक से देय होगा। यदि आवंटन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना में पुनः उपरोक्तानुसार धनराशि सम्मिलित कर आगणित कराने के पश्चात प्राप्त देय धनराशि आवंटी को निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा विलम्ब की स्थित में दण्ड ब्याज देय होगा। सम्पत्ति के निबन्धन/अनुबन्ध हेतु देय स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क आवंटी को स्वंय वहन करना होगा। समस्त देय धनराशि जमा होने के उपरान्त ही निबन्धन की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

नीलामी हेतु नियम एंव शर्तें

1. व्यावसायिक सम्पत्तियों का निस्तारण ई–आक्शन से किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ई–ऑक्शन आमंत्रित किया जायेगा। ऑक्शन में सर्वोच्च बोली प्राप्त होने के बाद उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में दी गयी बोली पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा विचार किया जायेगा। उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 को पूर्ण अधिकार होगा कि वह सर्वोच्च बोली के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दें एवं जमानत धनराशि/टोकन मनी वापस कराते हुए पुनः ई–ऑक्शन आमंत्रित करें।

2. यदि पूर्व से प्राधिकरण द्वारा किसी को व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित की गई है और उसने लगातार 03 किश्तें जमा नही किया है, तो वह डिफॉल्टर माना जायेगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने की तिथि तक बकाया धनराशि जमा कर देते है, तो आवेदन करने व ई–नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र माने जायेंगे।

3. ई–ऑक्शन में 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही निर्धारित ई0एम0डी0/टोकन मनी जमा कर प्रतिभाग कर सकतें है। बोली में असफल होने पर जमा ई0एम0डी0/टोकन मनी की धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

4. शासनादेश संख्या–4982/9–आ–1–99–79 बैठक/99 दिनांक–17.12.99 के अनुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। यदि आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा आरक्षरण प्रमाण पत्र अपलोड/उपलब्ध नही किया जाता है तो उसके द्वारा दी गयी बोली/आफर को निरस्त कर दिया जोयगा।

5. फर्म संस्था/कम्पनी को अपना मेमोरेन्डम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी तथा अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर भी देना होगा। साझीदार फर्म को रजिस्ट्रार आफ फर्म के यहाँ पंजीकृत होना तथा आवेदक को E-mail ID & Whatsapp मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य हैं।

6. जो इच्छुक क्रेता ई–ऑक्शन द्वारा सम्पत्ति को लेना चाहते हैं, उन्हे ई–ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए वांछित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी की धनराशि आनॅलाइन जमा करानी होगी।

7. ई–ऑक्शन में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति एक से अधिक परिसम्पत्तियों पर ई–बोली लगा सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक परिसम्पत्ति के लिये पृथक–पृथक अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी ऑनलाईन जमा कराना होगा। आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक व्यावसायिक सम्पत्तियां क्रय की जा सकती है।

8. ई–आक्शन पोर्टल पर सभी विवरण सही–सही भरे जायें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें। ई–ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध कराई ,गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि स्वीकृत बोलीदाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात् उपरोक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि एंव जी0एस0टी0 जब्त करने तथा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।.

9. सम्पत्ति "जैसी है जहाँ है" के आधार पर आवंटित की जायेगी।

10. ई–आक्शन में प्रतिभाग करने वालों से अपेक्षा है कि ऑक्शन से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी, स्वामित्व आदि के विषय में आश्वस्त हों ले। यदि किसी सम्पत्ति को बोलीदाता के पक्ष में आवंटित की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति की स्थिति अथवा निर्माण

आदि विषयक दोष, स्वत्व इत्यादि का स्थल का निरीक्षण कर/प्राधिकरण से सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं। बाद में सम्पत्ति विषयक किसी भी दोष के सम्बन्ध में कोई शिकायत ग्राह्य/मान्य नही होगी।

11. यदि ई–आक्शन में प्रतिभाग करने वालों द्वारा आक्शन की शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन नही किया जाता है तो उसको ई–आक्शन से वंचित करने का अधिकार ई–ऑक्शन कमेटी को होगा।

12. सम्पत्ति के न्यूनतम् आरक्षित विक्रय मूल्य में बोली निम्नानुसार लगायी जायेगी।

A- रू0–20.00 लाख तक न्यूनतम वृद्धि रू0–10,000/– एवं उसके गुणांक में।

B- रू0–20.00 लाख से 50.00 लाख तक रू0–50,000/– एवं उसके गुणांक में।

C- रू0–50.00 लाख से 2.00 करोड. तक रू0–1.00 लाख एवं उसके गुणांक में।

D- रू0–2.00 करोड. से 5.00 करोड. तक रू0–5.00/– लाख एवं उसके गुणांक में।

E- रू0–5.00 करोड. से 10.00 करोड. तक रू0–10.00/– लाख एवं उसके गुणांक में

F- रू0–10.00 करोड. से ऊपर तक की सम्पत्तियों मं रू0–20.00/– लाख एवं उसके गुणांक में।

13. यदि किसी कारणवश भूमि की लागत में बढ़ोत्तरी होती है अथवा किसी वाद के कारण विचाराधीन भूमि के दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा।

14. यदि आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में बृद्धि होती है तो उसके आवंटन के समय जो नीलामी में प्राप्त उच्चतम् दर अथवा प्राप्त अतिरिक्त क्षेत्रफल के आवंटन के समय नियमानुसार वर्तमान दर में से जो अधिक होगी उस दर से अतिरिक्त क्षेत्रफल की देयता जमा करनी होगी। अतिरिक्त भूमि/क्षेत्रफल प्राप्त होने पर अतिरिक्त भूमि की धनराशि ई–आफरदाता को प्राधिकरण में मॉग पत्र जारी होने के 01 माह (एक) के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा की दशा में प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय होगा।

15. ई–आक्शन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के पास/स्थल पर अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने की स्थिति में नियोजन के अभिमत पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा आवंटन किये जाने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। यदि प्राप्त अतिरिक्त भूमि पर नया भूखण्ड सृजित नही किया जा सकता है तो उसे आवंटी को लेना अनिवार्य होगा।

16. सामान्यतया एकल बोली/आफर (बिड) को स्वीकार नही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्पत्तियों के निस्तारण की दृष्टि से आक्शन समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

17. <u>A–धनराशि जमा करने का विवरण</u>

1. रुपया 50 लाख तक की व्यवसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम ई–ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/नीलामी स्वीकृत पश्चात् प्रेषित आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।)। आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 60 दिवसों में 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 03 माह पश्चात् 08 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी।
2. रूपया–50.00 लाख से ऊपर तथा रू0–2.00 करोड़ तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई–ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ ई–आक्शन की स्वीकृति उपरान्त आवंटन पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आंवटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से 60 दिवसों में 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 03 माह पश्चात् 10 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी। 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तो के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

3. रू0–2.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई–ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ई–आक्शन की स्वीकृति उपरान्त, आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आंवटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से शेष 75 प्रतिशत धनराशि 20 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तो के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

4. रू0–10.00 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई–ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ई–आक्शन की स्वीकृति उपरान्त, आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 03 माह में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आंवटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से 09 माह के पश्चात शेष 75 प्रतिशत धनराशि (9 माह का 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज को जोड़ते हुये) 20 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर से जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तो के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

5. गोमती नगर विराज खण्ड स्थित आवासीय भूखण्ड एवं विभिन्न आपार्टमेन्ट में स्थित फ्लैटों का कुल मूल्य आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर जमा करना होगा तथा उपरोक्त बिन्दु सं0–1, 2, 3 व 4 आवासीय भूखण्ड/फ्लैट पर लागू नहीं होगा। सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात ही भूखण्ड का कब्जा निबन्धन के उपरान्त दिया जायेगा।

6. सी0 जी0 सिटी स्थित सभी प्रकार के भू–उपयोग (आवासीय को छोड़कर) एंव वास्तु खण्ड स्थित वेजिटेबल मार्केट के भूखण्डों हेतु अलग से कोई लोकेशन चार्जेज देय नही होगें। उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में स्थित सभी प्रकार के भू–उपयोग के भूखण्डों हेतु प्राप्त उच्चतम् बोली पर नियमानुसार लोकेशन चार्जेज देय होगा।

7. आवंटन पत्र में निर्धारित 25 प्रतिशत की अन्तर धनराशि निर्धारित अवधि/तिथि पर नही जमा करनें पर आवेदक/टेण्डरदाता के अनुरोध पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 देय धनराशि एक माह में 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा करने हेतु एक अन्तिम अवसर दे सकते हैं। समयावधि समाप्त होने के एक माह के अन्दर यदि आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु कोई आवेदन नही किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि आवेदक/टेण्डरदाता आवंटित सम्पत्ति क्रय करने में असमर्थ है और बिना किसी नोटिस के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/टेण्डरदाता की स्वयं होगी।

8. देय किश्तों का भुगतान समय से न करने पर 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

9. आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क की धनराशि को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर पर नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा।

10. गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत सी0बी0डी0 योजना में स्थित भूखण्डों का मिश्रित भू–उपयोग इस शर्त पर अनुमन्य होगा कि भूतल का उपयोग अनिवार्य रूप से व्यसायिक किया जायेगा।

11- पत्र प्राप्ति की तिथि सम्बन्धित डाकघर द्वारा वितरित करने मोहरनुमा अंकित तिथि/पोस्टमैन द्वारा अंकित तिथि ही मानी जायेगी। यदि डाक से पत्र बिना वितरित हुये कार्यालय में वापस आता है तो डाक विभाग/डाकिया द्वारा प्रथम अंकित तिथि ही पत्र प्राप्ति की तिथि मानी जायेगी।

B–अनुबन्ध में प्रतिबन्ध

1. व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्राहकों को सम्पत्ति/भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा। जब तक प्राधिकरण से देयता समाप्त नहीं हो जाती है, प्राधिकरण के प्रति देयता समाप्त होने एवं आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्री होने के पश्चात ही आवंटी को अपने ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।
2. आवंटियों द्वारा देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार न किये जाने पर अथवा अनुबंध के प्राविधानों/शर्तों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण को देय बकाया धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूल करने का अधिकार होगा।
3. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष प्राधिकरण को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार प्राधिकरण का होगा।
4. सम्पत्ति के मूल्य पर प्रचलित नियमों अनुसार सम्पूर्ण फ्री–होल्ड शुल्क जमा करने पर सम्पत्ति का अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

C–देय धनराशि जमा न करने पर आवंटित व्यवसायिक सम्पत्ति को निरस्त करना–

1. इच्छुक केता द्वारा उच्चतम बोली बोलने के बाद मना करने पर अथवा स्वीकृत के उपरान्त देय धनराशि न जमा करने पर जमा की गयी सम्पूर्ण टोकन मनी/ई0एम0डी0 धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

   यदि आवंटी निरस्त सम्पत्ति को पुनर्जीवित कराना चाहें तो उसे पुनर्जीवन शुल्क तथा सम्पत्ति रिक्त होने की स्थिति में स्वीकृताधिकारी द्वारा सम्पत्ति के अद्यावधिक भुगतान की शर्तो/तत्समय प्रभावी गणना गाईड लाईन में निहित प्राविधान के अधीन, आवंटन पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
2. आवंटन पत्र के अनुसार भुगतान के बाद यदि आवंटी किन्ही कारणों से सम्पत्ति लेने मे असहमत होता है और जमा धनराशि वापसी की माँग करता है तो भुगतान की गयी धनराशि में से टोकन धनराशि (10 प्रतिशत) सहित प्रथम चरण (15 प्रतिशत) में जमा सम्पूर्ण धनराशि की कटौती करने के साथ आवंटन सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
3. आवंटन पत्र में निर्धारित 25 प्रतिशत धनराशि (ई0एम0डी की धनराशि समायोजित सहित) का समय से न जमा करने पर 10 प्रतिशत टोकन मनी/ई0एम0डी0 की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और यदि कोई आवंटी लगातार 3 किश्तें जमा नही करता है तो वह डिफाल्टर माना जायेगा ऐसी स्थित में बिना किसी नोटिस के सम्पत्ति के मूल्य का जमा 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती करने के साथ आवंटन सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
4. सम्पत्ति जिसका कब्जा प्राधिकरण के पास है, के आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात ऐसी सम्पत्ति को आगामी प्रस्तावित नीलामी में सम्मिलित किया जायेगा।
5. ऐसी निरस्त सम्पत्तियॉ जिनका भौतिक कब्जा पूर्व से हस्तगत है, के विरूद्ध देय ब्याज सहित सम्पूर्ण अवशेष धनराशि तथा पुनर्जीवन शुल्क के रूप में जब्त टोकन मनी/ई0एम0डी0 धनराशि का 40 प्रतिशत प्राधिकरण के खाते में जमा किये जाने पर स्वीकृताधिकारी द्वारा पुर्नजीवित किया जायेगा।

6. निरस्त की गयी सम्पत्तियों में जब्त की जाने वाली धनराशि पर लगने वाले 18 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि पृथक से आवंटी की जमा धनराशि से घटा कर अवशेष धनराषि रिफण्ड किया जायेगा।

18. आवंटी/संस्था द्वारा अनुबन्ध/निबन्धन के पश्चात प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेंगे।

19. प्राधिकरण द्वारा ई-ऑक्शन की नियम व शर्तों का पालन आवंटी/संस्था को करना होगा। ई-आक्शन के सम्बन्ध में समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा।

20. किश्तों का प्रारम्भ, आवंटन पत्र में अंकित तिथि से माना जायेगा।

21. ई-ऑक्शन में प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर ही किसी व्यक्ति के सम्पत्ति का आवंटन पूर्ण नही माना जायेगा, सम्पत्ति का आवंटन उसी समय माना जायेगा जब सक्षम स्तर अर्थात उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत प्राप्त हो जाए। आवंटन के पश्चात् समस्त वांछित धनराशि निर्धारित समय में जमा करते हुये औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होगी अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि कोई ई-ऑक्शन दाता की बोली स्वीकार होने के पश्चात् वांछित औपचारिकाताओं की पूर्ति न किये जाने के फलस्वरूप आवंटी की चूक होने के कारण उसका आवंटन निरस्त किया जाता है तो नियमों के अर्न्तगत टोकन मनी/ई0एम0डी0/अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

22. यदि प्राधिकरण की सर्विस फाल्ट/आवंटित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का वाद-विवाद होने के कारण सम्पत्ति का आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निबन्धन/कब्जा की कार्यवाही पूर्ण नही किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में आवंटी की सम्पूर्ण जमा धनराशि भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता हेतु प्रचलित ब्याज दर के साथ कुल धनराशि वापस कर दिया जायेगा।

23. आक्शन में उच्चतम् ई-ऑफरदाता के पक्ष में सम्पत्ति आवंटन के पश्चात शासनादेश/प्रचलित नियमों के अनुसार व्यवसायिक सम्पत्तियों/भूखण्डों के मूल्य पर लीज रेंट/फ्री-होल्ड शुल्क पृथक से देय होगा। यदि आवंटन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना में पुनः उपरोक्तानुसार धनराशि सम्मिलित कर आगणित कराने के पश्चात प्राप्त देय धनराशि आवंटी को निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा विलम्ब की स्थित में दण्ड ब्याज देय होगा। सम्पत्ति के निबन्धन/अनुबन्ध हेतु देय स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क आवंटी को स्वंय वहन करना होगा। समस्त देय धनराशि जमा होने के उपरान्त ही निबन्धन की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

24. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यदि किसी सम्पत्ति पर बाउंड्री वाल का निर्माण आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात किया गया है तो निर्माण की लागत आवंटी को पृथक से भुगतान करना होगा, क्योंकि उक्त लागत को आरक्षित दर में सम्मिलित नही किया गया हैं।

25. सम्पत्ति की ई-ऑक्शन ले-आउट के अनुसार अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। वास्तविक लीज-प्लान प्राप्त होने पर क्षेत्रफल कम पाये जाने पर ऑक्शन दर पर घटे हुये क्षेत्रफल की धनराशि अन्य व्ययों में समायोजित की जा सकेगी तथा उसके बाद भी अधिक जमा धनराशि पाये जाने पर वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। क्रेता को नगर निगम, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर अथवा अधिभार आदि स्वंय वहन करने होगें। इसी प्रकार किसी भी विभाग से प्राप्त की जाने वाली अनुमति/अनापत्ति/अनुज्ञा क्रेता को स्वंय अपने व्यय पर प्राप्त करनी होगी।

26. सम्पत्ति के अनुबन्ध/निबन्धन हेतु निर्धारित धनराशि जमा करने के साथ शासनादेश के अनुसार स्टाम्प जमा करने एवं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप/विलेख के अनुसार अनुबंध/निबन्धन निष्पादित किये जाने के उपरान्त ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा क्रेता को दिया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

27. ऑक्शन की गयी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर आर्बीटेशन एक्ट के प्राविधान लागू होगें तथा उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति आर्बीट्रेटर होगा। आर्बीट्रेटर यदि कोई धनराशि किसी पक्ष में अवार्ड करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

आवंटी को मानसिक क्षति के आधार पर किसी भी प्रकार की धनराशि आर्बीट्रेटर अवार्ड नहीं करेगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही के दौरान आवंटी अपना खर्च स्वंय वहन करेगा। आर्बीट्रेशन की सारी कार्यवाही केवल लखनऊ नगर में सम्पादित होंगी।

28. ऑक्शन प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर केवल लखनऊ स्थित सक्षम न्यायालय में ही वाद का क्षेत्राधिकार होगा। उपाध्यक्ष स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति को 90 दिन के अन्दर आर्बीट्रेटर नामित करना होगा। यदि उपाध्यक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर स्वयं आर्बीट्रेटर का कार्य या दूसरे व्यक्ति को आर्बीट्रेटर नियुक्त नही करता है तो आवंटी अपना विवाद न्यायालय द्वारा निस्तारण करा सकेगा। यदि नामित व्यक्ति ल0 वि0 प्रा0 का अधिकारी है तो आवंटी को उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार न होगा, चाहे ऐसे अधिकारी ने आवंटी के विवाद के सम्बन्ध में पूर्व में कोई आख्या ही क्यों न दे रखी हो।

29. ई–ऑक्शन प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय व बोली स्वीकृत होने के पूर्व निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। इसी प्रकार ई–ऑक्शन प्रारम्भ होने के पूर्व ऑक्शन की शर्तो को प्राधिकरण के हित में संशोधन करने या कोई अन्य प्राविधान लागू करने का अधिकार उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 में निहित होगा, जिसकी सूचना ऑक्शन में भाग लेने वाले को ऑक्शन से पूर्व दे दी जायेगी।

30. ई–ऑक्शन प्रक्रिया में पंजीकृत आवेदकों द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकेगा। ई–ऑफरदाता को पोर्टल पर अपने खाते का विवरण एंव क्रास चेक की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

31. भूखण्ड पर निर्माण के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना तथा भवन निर्माण के सम्बन्ध में लागू समस्त नियमों/उपविधियों के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। भूखण्डों पर अनुमन्य भवन की ऊँचाई एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दी गई अनापत्ति के अनुसार होगी।

32. आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा शासन द्वारा वर्तमान में तथा भविष्य में लागू किये गये समस्त नियमों/उप–नियमों का पालन करना होगा।

33. स्कूल भूखण्डों पर अन्य नियम व शर्ते शासनादेश संख्या–3600/8–1–11–10विविध/04 दिनांक–21.12.2011 में निहित प्राविधान के अनुसार ही लागू होगी।

34. उपाध्यक्ष, ल0 वि0 प्रा0 का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

दिनांक–

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

(पंवन कुमार गंगवार)
सचिव

(डा0 इन्द्र मणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

फाइन डाइनिंग स्ट्रीट सी0बी0डी0, गोमती नगर विस्तार में स्थित भूखण्डों की नीलामी हेतु संशोधित नियम एंव शर्ते

1. फाइन डाइनिंग स्ट्रीट के अन्तर्गत डीएस–1 से डीएस–15 तक के समस्त भूखण्डों पर केवल रेस्टोरेन्ट व होटल का निर्माण किया जाना अनुमन्य होगा।

2. एफ0ए0आर0 3.00 एवं भू–आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा।

3. माइक्रो ब्रेववरीज एवं बार (Micro Breweries & Bar) की सुविधा सक्षम स्तर से केता द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की स्थिति में लाइसेंस की शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा सक्षम स्तर पर आवेदन करते हुए लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व केता का होगा।

4. इन भूखण्डों पर रेस्टोरेण्ट का संचालन 24 X 7 (चौबिस घंटे प्रत्येक दिवस) किया जा सकेगा।

5. कोई भी व्यक्ति अथवा कम्पनी ई–नीलामी में प्रतिभाग कर सकती है तथा वह एक अथवा एक से अधिक भूखण्डों की नीलामी में प्रतिभाग कर सकेगी।

6. एक से अधिक भूखण्डों हेतु नीलामी में प्रतिभाग करने के लिये पृथक–पृथक सभी भूखण्डों हेतु पंजीकरण कराते हुए ई–नीलामी में पृथक–पृथक बोली लगाई जानी आवश्यक होगी।

7. इन सम्पत्तियों का निस्तारण ई–आक्शन से किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ई–ऑक्शन आमंत्रित किया जायेगा। ऑक्शन में सर्वोच्च बोली प्राप्त होने के बाद उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में दी गयी बोली पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा विचार किया जायेगा। उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 को पूर्ण अधिकार होगा कि वह सर्वोच्च बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दें एवं जमानत धनराशि/टोकन मनी वापस कराते हुए पुनः ई–ऑक्शन आमंत्रित करें।

8. यदि पूर्व से प्राधिकरण द्वारा किसी को व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित की गई है और उसने लगातार 03 किश्तें जमा नही किया है, तो वह डिफॉल्टर माना जायेगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने की तिथि तक बकाया धनराशि जमा कर देते है, तो आवेदन करने व ई–नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र माने जायेंगे। ई–आक्शन में भाग लेने वाले आवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।

9. ई–ऑक्शन में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अथवा कोई कम्पनी/फर्म/संस्था निर्धारित ई0एम0डी0/टोकन मनी जमा कर प्रतिभाग कर सकतें है। बोली में असफल होने पर जमा ई0एम0डी0/टोकन मनी की धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

10. शासनादेश संख्या–4982/9–आ–1–99–79 बैठक/99 दिनांक–17.12.99 के अनुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। यदि आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड/उपलब्ध नही किया जाता है तो उसके द्वारा दी गयी बोली/आफर को निरस्त कर दिया जोयगा।

11. फर्म संस्था/कम्पनी को अपना मेमोरेन्डम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी तथा अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर भी देना होगा। साझीदार फर्म को रजिस्ट्रार आफ फर्म के यहाँ पंजीकृत होना तथा आवेदक को E-mail ID & Whatsapp मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य हैं।

12. ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु ई–ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए वांछित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी की धनराशि आनॅलाइन जमा करानी होगी।

13. ई–ऑक्शन में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति एक से अधिक परिसम्पत्तियों पर ई–बोली लगा सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक परिसम्पत्ति के लिये पृथक–पृथक अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी ऑनलाईन जमा कराना होगा। आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक भूखण्ड क्रय किये जा सकते है।

14. ई–आक्शन पोर्टल पर सभी विवरण सही–सही भरे जायें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें। ई–ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि स्वीकृत बोलीदाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात् उपरोक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

15. सम्पत्ति "जैसी है जहाँ है" के आधार पर आवंटित की जायेगी।

16. ई–आक्शन में प्रतिभाग करने वालों से अपेक्षा है कि ऑक्शन से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी, स्वामित्व आदि के विषय में आश्वस्त हों ले। यदि किसी सम्पत्ति को बोलीदाता के पक्ष में आवंटित की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति की स्थिति अथवा निर्माण आदि विषयक दोष, स्वत्व इत्यादि का स्थल का निरीक्षण कर/प्राधिकरण से सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं। बाद में सम्पत्ति विषयक किसी भी दोष के सम्बन्ध में कोई शिकायत ग्राह्रय/मान्य नही होगी।

17. यदि ई–आक्शन में प्रतिभाग करने वालों द्वारा आक्शन की शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन नही किया जाता है तो उसको ई–आक्शन से वंचित करने का अधिकार ई–ऑक्शन कमेटी को होगा।

18. यदि किसी कारणवश भूमि की लागत में बढ़ोत्तरी होती है अथवा किसी वाद के कारण विचाराधीन भूमि के दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा।

19. यदि आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में बृद्धि होती है तो उसके आवंटन के समय जो नीलामी में प्राप्त उच्चतम् दर अथवा प्राप्त अतिरिक्त क्षेत्रफल के आवंटन के समय नियमानुसार वर्तमान दर में से जो अधिक होगी उस दर से अतिरिक्त क्षेत्रफल की देयता जमा करनी होगी। अतिरिक्त भूमि/क्षेत्रफल प्राप्त होने पर अतिरिक्त भूमि की दर ई–निविदादाता से प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त भूमि/क्षेत्रफल का मॉग पत्र जारी होने के 01 माह (एक) के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा की दशा में प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय होगा।

20. ई–आक्शन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के पास/स्थल पर अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने की स्थिति में नियोजन के अभिमत पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा आवंटन किये जाने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। यदि प्राप्त अतिरिक्त भूमि पर नया भूखण्ड सृजित नही किया जा सकता है तो उसे आवंटी को लेना अनिवार्य होगा।

21. सामान्यतया एकल बोली/आफर (बिड) को स्वीकार नही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्पत्तियों के निस्तारण की दृष्टि से आक्शन समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

22. <u>A–धनराशि जमा करने का विवरण</u>

1. रुपया 50 लाख तक की व्यवसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम ई–ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/नीलामी स्वीकृत पश्चात् प्रेषित आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।)। आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 60 दिवसों में 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 03 माह पश्चात् 08 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी।
2. रूपया–50.00 लाख से ऊपर तथा रू0–2.00 करोड़ तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई–ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ ई–आक्शन की स्वीकृति उपरान्त आवंटन पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आंवटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से 60 दिवसों में 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 03 माह पश्चात् 10 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी। 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तो के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।
3. रू0–2.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई–ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ई–आक्शन की स्वीकृति उपरान्त, आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आंवटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से शेष 75 प्रतिशत धनराशि 20 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तो के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।
4. रू0–10.00 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई–ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ई–आक्शन की स्वीकृति उपरान्त, आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 03 माह में अवश्य जमा करनी होगी,

(उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आंवटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से 09 माह के पश्चात शेष 75 प्रतिशत धनराशि (9 माह का 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज को जोड़ते हुये) 20 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर से जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तो के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

5. सी0 जी0 सिटी स्थित सभी प्रकार के भू–उपयोग (आवासीय को छोड़कर) एंव वास्तु खण्ड स्थित वेजिटेबल मार्केट के भूखण्डों हेतु अलग से कोई लोकेशन चार्जेज देय नही होगें। उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में स्थित सभी प्रकार के भू–उपयोग के भूखण्डों हेतु प्राप्त उच्चतम् बोली पर नियमानुसार लोकेशन चार्जेज देय होगा।

6. आवंटन पत्र में निर्धारित 25 प्रतिशत की अन्तर धनराशि निर्धारित अवधि/तिथि पर नही जमा करनें पर आवेदक/टेण्डरदाता के अनुरोध पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 देय धनराशि एक माह में 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा करने हेतु एक अन्तिम अवसर दे सकते हैं। समयावधि समाप्त होने के एक माह के अन्दर यदि आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु कोई आवेदन नही किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि आवेदक/टेण्डरदाता आवंटित सम्पत्ति क्रय करने में असमर्थ है और बिना किसी नोटिस के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/टेण्डरदाता की स्वयं होगी।

7. देय किश्तों का भुगतान समय से न करने पर 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

8. आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क की धनराशि को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर पर नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा।

B–अनुबन्ध में प्रतिबन्ध

1. व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्राहकों को सम्पत्ति/भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा। जब तक प्राधिकरण से देयता समाप्त नहीं हो जाती है, प्राधिकरण के प्रति देयता समाप्त होने एवं आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्री होने के पश्चात ही आवंटी को अपने ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।
2. आवंटियों द्वारा देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार न किये जाने पर अथवा अनुबंध के प्राविधानों/शर्तो के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण को देय बकाया धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूल करने का अधिकार होगा।
3. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष प्राधिकरण को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार प्राधिकरण का होगा।
4. सम्पत्ति के मूल्य पर प्रचलित नियमों अनुसार सम्पूर्ण फ्री–होल्ड शुल्क जमा करने पर सम्पत्ति का अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

C–देय धनराशि जमा न करने पर आवंटित व्यवसायिक सम्पत्ति को निरस्त करना–

1. इच्छुक केता द्वारा उच्चतम बोली बोलने के बाद मना करने पर अथवा स्वीकृत के उपरान्त देय धनराशि न जमा करने पर जमा की गयी सम्पूर्ण टोकन मनी/ई0एम0डी0 धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

   आवंटित सम्पत्ति को प्राधिकरण द्वारा निरस्त करने के उपरान्त पुनर्जीवित नहीं कराया जा सकेगा, परन्तु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण यदि विशेष परिस्थितियों में पुनर्जीवित करना चाहें, तो पुनर्जीवन शुल्क जमा कराकर तथा सम्पत्ति रिक्त होने की स्थिति में पुनर्जीवन पर विचार किया जा सकेगा तथा पुनर्जीवन सम्पत्ति के अद्यावधिक भुगतान की शर्तो/तत्समय प्रभावी कास्टिंग गाईड लाईन में निहित प्राविधान के अधीन ही पुनर्जीवन अनुमन्य होगा।
2. आवंटन पत्र के अनुसार भुगतान के बाद यदि आवंटी किन्ही कारणों से सम्पत्ति लेने मे असहमत होता है और जमा धनराशि वापसी की मॉग करता है तो भुगतान की गयी धनराशि में से टोकन धनराशि (10 प्रतिशत) सहित प्रथम चरण (15 प्रतिशत) में जमा सम्पूर्ण धनराशि

की कटौती करने के साथ आवंटन सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।

3. आवंटन पत्र में निर्धारित 25 प्रतिशत धनराशि (ई0एम0डी की धनराशि समायोजित सहित) को समय से न जमा करने पर 10 प्रतिशत टोकन मनी/ई0एम0डी0 की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और यदि कोई आवंटी लगातार 3 किश्तें जमा नही करता है तो वह डिफाल्टर माना जायेगा ऐसी स्थिति में बिना किसी नोटिस के सम्पत्ति के मूल्य का जमा 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती करने के साथ आवंटन सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।

4. सम्पत्ति जिसका कब्जा प्राधिकरण के पास है, के आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात ऐसी सम्पत्ति को आगामी प्रस्तावित नीलामी में सम्मिलित किया जायेगा।

5. यदि आवंटी की गलती से आवंटन निरस्त हुआ था तो पुनर्जीवन वर्तमान मूल्य व मूल्य का 01 प्रतिशत पुनर्जीवन शुल्क लेकर अथवा पुराने मूल्य पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज लेकर दोनों में जो अधिक हो, से किया जायेगा। पुनर्जीवन उसी सम्पत्ति का किया जायेगा जो सम्पत्ति आवंटित थी। यदि वह रिक्त नहीं है तो पुनर्जीवन नहीं किया जायेगा।

6. निरस्त की गयी सम्पत्तियों में जब्त की जाने वाली धनराशि पर लगने वाले 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि पृथक से आवंटी की जमा धनराशि से घटा कर अवशेष धनराषि रिफण्ड किया जायेगा।

23. आवंटी/संस्था द्वारा अनुबन्ध/निबन्धन के पश्चात प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेंगे।

24. प्राधिकरण द्वारा ई–ऑक्शन की नियम व शर्तों का पालन आवंटी/संस्था को करना होगा। ई–आक्शन के सम्बन्ध में समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा।

25. किश्तों का प्रारम्भ, आवंटन पत्र में अंकित तिथि के अनुसार माना जायेगा।

26. ई–ऑक्शन में प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर ही किसी व्यक्ति के सम्पत्ति का आवंटन पूर्ण नही माना जायेगा, सम्पत्ति का आवंटन उसी समय माना जायेगा जब सक्षम स्तर अर्थात उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत प्राप्त हो जाए। आवंटन के पश्चात् समस्त वांछित धनराशि निर्धारित समय में जमा करते हुये औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होगी अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि कोई ई–ऑक्शन दाता की बोली स्वीकार होने के पश्चात् वांछित औपचारिकाताओं की पूर्ति न किये जाने के फलस्वरूप आवंटी की चूक होने के कारण उसका आवंटन निरस्त किया जाता है तो नियमों के अर्न्तगत टोकन मनी/ई0एम0डी0/अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

27. यदि प्राधिकरण की सर्विस फाल्ट/आवंटित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का वाद–विवाद होने के कारण सम्पत्ति का आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निबन्धन/कब्जा की कार्यवाही पूर्ण नही किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में आवंटी की सम्पूर्ण जमा धनराशि भारतीय स्टेट बैंक के MCLR दर पर प्रचलित ब्याज दर के साथ कुल धनराशि वापस कर दिया जायेगा।

28. सम्पत्ति के अनुबन्ध/निबन्धन किये जाने से पूर्व शासनादेश/प्रचलित नियमों के अनुसार भूखण्डों के मूल्य पर फ्री–होल्ड शुल्क पृथक से जमा करना होगा। यदि आवंटन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना में पुनः उपरोक्तानुसार धनराशि सम्मिलित कर आगणित कराने के पश्चात प्राप्त देय धनराशि आवंटी को निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा विलम्ब की स्थित में दण्ड ब्याज देय होगा। सम्पत्ति के निबन्धन/अनुबन्ध हेतु देय स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क आवंटी को स्वंय वहन करना होगा। समस्त देय धनराशि जमा होने के उपरान्त ही निबन्धन की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

29. सम्पत्ति की ई–ऑक्शन ले–आउट के अनुसार अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। वास्तविक लीज–प्लान प्राप्त होने पर क्षेत्रफल कम पाये जाने पर ऑक्शन दर पर घटे हुये क्षेत्रफल की धनराशि अन्य व्ययों में समायोजित की जा सकेगी तथा उसके बाद भी अधिक जमा धनराशि पाये जाने पर वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। क्रेता को नगर निगम, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर अथवा अधिभार आदि स्वंय वहन करने होगें। इसी प्रकार किसी भी विभाग से प्राप्त की जाने वाली अनुमति/अनापत्ति/अनुज्ञा क्रेता को स्वंय अपने व्यय पर प्राप्त करनी होगी।

30. सम्पत्ति के अनुबन्ध/निबन्धन हेतु निर्धारित धनराशि जमा करने के साथ शासनादेश के अनुसार स्टाम्प जमा करने एवं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप/विलेख के अनुसार अनुबंध/निबन्धन निष्पादित किये जाने के उपरान्त ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा क्रेता को दिया जायेगा।

31. ऑक्शन की गयी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर आर्बीटेशन एक्ट के प्राविधान लागू होगें तथा उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति आर्बीट्रेटर होगा। आर्बीट्रेटर यदि कोई

धनराशि किसी पक्ष में अवार्ड करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। आवंटी को मानसिक क्षति के आधार पर किसी भी प्रकार की धनराशि आर्बीट्रेटर अवार्ड नहीं करेगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही के दौरान आवंटी अपना खर्च स्वंय वहन करेगा। आर्बीट्रेशन की सारी कार्यवाही केवल लखनऊ नगर में सम्पादित होंगी।

32. ऑक्शन प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर केवल लखनऊ स्थित सक्षम न्यायालय में ही वाद का क्षेत्राधिकार होगा। उपाध्यक्ष स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति को 90 दिन के अन्दर आर्बीट्रेटर नामित करना होगा। यदि उपाध्यक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर स्वयं आर्बीट्रेटर का कार्य या दूसरे व्यक्ति को आर्बीट्रेटर नियुक्त नही करता है तो आवंटी अपना विवाद न्यायालय द्वारा निस्तारण करा सकेगा। यदि नामित व्यक्ति ल0 वि0 प्रा0 का अधिकारी है तो आवंटी को उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार न होगा, चाहे ऐसे अधिकारी ने आवंटी के विवाद के सम्बन्ध में पूर्व में कोई आख्या ही क्यों न दे रखी हो।

33. ई–ऑक्शन प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय व बोली स्वीकृत होने के पूर्व निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। इसी प्रकार ई–ऑक्शन प्रारम्भ होने के पूर्व ऑक्शन की शर्तो को प्राधिकरण के हित में संशोधन करने या कोई अन्य प्राविधान लागू करने का अधिकार उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 में निहित होगा, जिसकी सूचना ऑक्शन में भाग लेने वाले को ऑक्शन से पूर्व दे दी जायेगी।

34. ई–ऑक्शन प्रक्रिया में पंजीकृत आवेदकों द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकेगा। ई–निविदादाता को पोर्टल पर क्रास चेक की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

35. भूखण्ड पर निर्माण के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना तथा भवन निर्माण के सम्बन्ध में लागू समस्त नियमों/उपविधियों के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। भूखण्डों पर अनुमन्य भवन की ऊँचाई एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दी गई अनापत्ति के अनुसार होगी।

36. आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा शासन द्वारा वर्तमान में तथा भविष्य में लागू किये गये समस्त नियमों/उप–नियमों का पालन करना होगा।

37. आवंटन के 03 माह के अंदर सम्पत्ति के मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि जमा करके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट/निबन्धन कराकर भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करना होगा।

38. कब्जे की तिथि से 12 माह के अंदर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण प्रारम्भ करना होगा तथा उसके पश्चात 36 माह में निर्माण कार्य पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

39. विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 के द्वारा निर्माण हेतु अतिरिक्त समय की वृद्वि की जा सकेगी।

40. उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

(पंवन कुमार गंगवार)
सचिव

(डा0 इन्द्र मणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

कार्यालयः अपर सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक संख्या– 356 /A.S./2023

दिनांक 02/09/2023

कार्यालय आदेश

कृपया कार्यहित में उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश के कम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं में संचालित विभिन्न व्यवसायिक सम्पत्तियों/भूखण्डों को ई–नीलामी द्वारा विकय किया जाना है, इस हेतु आवेदको को प्रश्नगत सम्पत्तियों को स्थल पर दिखाने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है–

कम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं0	स्थल का विवरण
1	श्री बृजेश कुमार सिंह	सुपरवाइजर	7081101300	कानपुर रोड/ट्रांसपोर्ट नगर योजना
2	श्री दिनेश कुमार दूबे	सुपरवाइजर	7081100882	कानपुर रोड/ट्रांसपोर्ट नगर योजना
3	श्री निशी नाथ अवस्थी	सुपरवाइजर	7081101355	हरदोई रोड योजना बसंत कुंज
4	श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	सुपरवाइजर	993589269 7081101212	हरदोई रोड योजना बसंत कुंज
5	श्री शत्रोहन	सुपरवाइजर	7081101769	जानकी पुरम/जानकीपुरम विस्तार योजना
6	श्री प्रेम लाल प्रकाश	सुपरवाइजर	9454523943	जानकी पुरम/जानकीपुरम विस्तार योजना
7	श्री प्रमोदकुमार बाजपेई	सुपरवाइजर	7081101637	प्रियदर्शिनी योजना
8	श्री गंगा प्रसाद तिवारी	सुपरवाइजर	7081100969	गोमती नगर/गोमती नगर विस्तार योजना
9	श्री मधुराम	मेट	6392939585	गोमती नगर/गोमती नगर विस्तार योजना
10	श्री पंकज	मेट	9415467768	गोमती नगर/गोमती नगर विस्तार योजना
11	श्री फूल चन्द्र	मेट	7081101150	सी0बी0डी0/सी0जी0सिटी योजना
12	श्री श्रवण	मेट	9794632985	सी0बी0डी0/सी0जी0सिटी योजना
13	श्री लक्ष्मी संकर द्विवेदी	~~मेट~~ सुपरवाइजर	7081101177	शारदा नगर योजना

उपरोक्त समस्त कर्मचारी अपने कार्य के साथ–साथ स्थल पर आवेदकों को ई–आक्शन में प्रस्तावित सम्पत्तियों को स्थल पर दिखाये जाने हेतु नियमित रूप से उपस्थित रहेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

प्रतिलिपि

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त अधिशासी अभिन्यतों को इस आशय से प्रेषित कि अपने जोन से सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

02.9.23

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner